

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं0सं0-02/कर माफी-03/2015 परि0

आदेश

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-439, दिनांक-13.02.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-01/2017-18 द्वारा आयुध निर्माणी, राजगीर, नालन्दा के वाहन संख्या-BR21K 1830 (ऐम्बुलेंस) के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No	Type Vehicle	Reg. No.	Period of Road Tax	Total Amount (in Rs.)	
1	AMBULANCE	BR21K-1830	One Time Tax	Tax	26,950/-
				Road Tax Fine	51,013/-
				RSF	120/-
				RSF Fine	247/-
TOTAL					78,330/-

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-439, दिनांक-13.02.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-01/2017-18 द्वारा आयुध निर्माणी, राजगीर, नालन्दा के वाहन संख्या-BR21K 1830 (ऐम्बुलेंस) के कर माफी हेतु की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में आयुध निर्माणी, राजगीर, नालन्दा के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल कर ₹ 78,330.00/- (अठहत्तर हजार तीन सौ तीस रुपये मात्र) में से ₹ 77,963.00 (सतहत्तर हजार नौ सौ तीस रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन करधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्धदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्धदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित/ इ-मेल ज्ञापांक :- 02/कर माफी-03/2015 परि0 2340 पटना, दिनांक- 4/4/18
प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा/आयुध निर्माणी, राजगीर, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4

विशेष कार्य पदाधिकारी,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
सं0सं0-02/कर माफी-03/2015 परि0
आदेश

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-439, दिनांक-13.02.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-01/2017-18 द्वारा आयुध निर्माणी, राजगीर, नालन्दा के वाहन संख्या-BR21K 1830 (एम्बुलेंस) के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No	Type Vehicle	Reg. No.	Period of Road Tax	Total Amount (in Rs.)	
1	AMBULANCE	BR21K-1830	One Time Tax	Tax	26,950/-
				Road Tax Fine	51,013/-
				RSF	120/-
				RSF Fine	247/-
TOTAL					78,330/-

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-439, दिनांक-13.02.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-01/2017-18 द्वारा आयुध निर्माणी, राजगीर, नालन्दा के वाहन संख्या-BR21K 1830 (एम्बुलेंस) के कर माफी हेतु की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में आयुध निर्माणी, राजगीर, नालन्दा के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल कर ₹ 78,330.00/- (अठहत्तर हजार तीन सौ तीस रुपये मात्र) में से ₹ 77,963.00 (सतहत्तर हजार नौ सौ तीरेसठ रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित/ ज्ञापांक :- 02/कर माफी-03/2015 परि0

ई-मेल

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा/आयुध निर्माणी, राजगीर, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-03/2015 परि0

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 5/5/18

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।